सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 26.03.2026

आजमगढ़

थाना – रौनापार, जनपद आजमगढ

प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 04 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 24.03.2026 को वादी द्वारा थाना रौनापार पर सूचना दिया गया कि कि ग्राम अराजी नौबरार करखिया किता प्रथम निवियहवा थाना रौनापार में रामकिशुन पुत्र परदेशी के घर पर सत्संग आयोजित किया जा रहा था, जिसमें महेन्द्र प्रजापति पुत्र खेताहू तथा उनकी पत्नी बिन्दू प्रजापति निवासी कासिमपुर जिगनी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, अनिरुद्ध पटेल पुत्र बेचन पटेल निवासी ग्राम कोलवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ एवं अक्षय कुमार पुत्र भोला निवासी ग्राम बड़ा गोड़ियाना थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा लोगों प्रलोभन देकर को ईसाई धर्म अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा था। जिसके आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 67/26 धारा 5(1)/3 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.03.2026 को उ0नि0 रमेश कुमार व उ0नि0 रामविलास प्रसाद मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर *पचपुलिया इस्माईलपुर* के पास से समय करीब 07:15 बजे नामजद अभियुक्तों 01. रामकिशुन पुत्र परदेशी निवासी ग्राम अराजी नौबरार करखिया किता-1 निवियहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र 74 वर्ष02.महेन्द्र प्रजापति पुत्र खेताहू निवासी कासिमपुर जिगनी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, उम्र 45 वर्ष 03.बिन्दू प्रजापति पत्नी महेन्द्र प्रजापति निवासी कासिमपुर जिगनी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, उम्र 38 वर्ष 04.अनिरुद्ध पटेल पुत्र बेचन पटेल निवासी ग्राम कोलवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र 42 वर्ष 05. अक्षय कुमार पुत्र भोला निवासी ग्राम बड़ा गोड़ियाना थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र 25 वर्षको गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0 67/26 धारा 5(1)/3 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रामकिशुन पुत्र परदेशी निवासी ग्राम अराजी नौबरार करखिया किता-1 निवियहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र 74 वर्ष
2. महेन्द्र प्रजापति पुत्र खेताहू निवासी कासिमपुर जिगनी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, उम्र 45 वर्ष
3. बिन्दू प्रजापति पत्नी महेन्द्र प्रजापति निवासी कासिमपुर जिगनी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, उम्र 38 वर्ष
4. अनिरुद्ध पटेल पुत्र बेचन पटेल निवासी ग्राम कोलवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र 42 वर्ष
5. अक्षय कुमार पुत्र भोला निवासी ग्राम बड़ा गोड़ियाना थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र 25 वर्ष

बरामदगी-

- 02 अदद पवित्र बाइबिल
- 01 अदद पवित्र शास्त्र
- 01 अदद नोटबुक
- 03 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रमेश कुमार,थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 रामविलास प्रसाद,थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
3. का0 विकास कुमार,थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
4. का0 चन्दन गौड़,थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
5. का0 जयप्रकाश वर्मा,थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
6. महिला आरक्षी प्रथमा,थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

02. थाना – मुबारकपुर, जनपद आजमगढ

मामूली कहासुनी के विवाद में एकराय होकर घर में घुसकरधारदार हथियार से युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 13.03.2026 को वादिनी फरीदा खातून पत्नी जलालुद्दीन निवासी ग्राम नेवादा रजानगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 12.03.2026 की रात्रि लगभग 21:30 बजे उनके पुत्र रेहान की मुहल्ले के अब्दुल अजीम से कहासुनी हो गई। इसी बात से नाराज होकर विपक्षीगण नईम, सलीम, अब्दुल अजीम व अब्दुल कादिर पुत्रगण सगीर निवासीगण उपरोक्त द्वारा वादिनी के घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए चाकू-छुरी से रेहान पर जान से मारने की नीयत से कंधे व पीठ पर हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। बीच-बचाव में आए वादिनी के पति की अंगुली कट गई तथा वादिनी, उनकी पुत्री व बहुओं को भी चोटें आईं। साथ ही दरवाजे पर खड़ी दोपहिया वाहन संख्या UP 50 Z 0281 को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।उक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 97/26 धारा 3(5), 333, 352, 109(1), 118(1), 115(2), 324(4)

बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान धारा 117(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

<u>गिरफ्तारी का विवरण-</u>

दिनांक 25.03.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 त्रिलोकी नाथ सिंह द्वारा क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधी व चेकिंग के दौरान अमिलो बाजार क्षेत्र में मौजूद थे, तभी मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मो0 नईम पुत्र स्व0 सगीर निवासी नेवादा रजानगर थाना मुबारकपुर पिचरी गेट के पास कहीं भागने की फिराक में खड़ा है। प्राप्त सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 10:45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

01.मो0 नईम पुत्र स्व0 सगीर निवासी ग्राम नेवादा रजानगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01.मु0अ0सं0 97/26 धारा 3(5), 333, 352, 109(1), 118(1), 115(2), 324(4), 117(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह हे0का0 त्रिलोकी नाथ सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

<u>03.थाना – सिधारी, जनपद आजमगढ़</u>

<u>नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

<u>पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-</u>

दिनांक 24.03.2026 को वादी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ हुए दुष्कर्म के संबंध में थाना सिधारी पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त अजय सिंह पुत्र हरिहर सिंह निवासी मूल पता बेलहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, हाल पता ग्राम जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 96/2026 धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तारी का विवरण-</u>

दिनांक 25.03.2026 को प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अजय सिंह पुत्र हरिहर सिंह निवासी मूल पता बेलहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, हाल पता ग्राम जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 10:40 बजे गिरफ्तार किया गया।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01.मु0अ0सं0 96/2026 धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.अजय सिंह पुत्र हरिहर सिंह निवासी मूल पता बेलहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, हाल पता ग्राम जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी
2. का0 राजकुमार, थाना सिधारी
3. का0 त्रिवेणी शाह, थाना सिधारी

04. थाना – कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण, 06 चाँदी के कड़े सहित एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

घर में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर सेहदा अंडरपास के पास से गिरफ्तारी

चोरी के 06 अदद चाँदी के कड़े अभियुक्त के कब्जे से बरामद

घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण–

अवगत कराना है कि दिनांक 23.03.2026 को वादी पलकधारी पुत्र फकीर निवासी ग्राम दुबरहन बुजुर्ग थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 20.03.2026 को उसका पड़ोसी दुकानदार विरेन्द्र पुत्र चैतू निवासी ग्राम पिपरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उसके घर में चोरी की नीयत से घुस गया तथा कमरे में रखे बक्से से उसकी पत्नी के 06 चाँदी के कड़े चोरी कर लिया। इस सूचना के आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 63/26 धारा 331(3)/305 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना के दौरान दिनांक 24/25.03.2026 की रात्रि में उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त की तलाश के क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर सेहदा अंडरपास के निकट पूर्वांचल ढाबा के पास घेराबंदी कर अभियुक्त विरेन्द्र पुत्र चैतू को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 06 अदद चाँदी के कड़े बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना को स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसने मौका पाकर वादी के घर से कड़े चोरी किये थे तथा पुलिस के डर से उन्हें लेकर अपने घर भागने की फिराक में था।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. विरेन्द्र पुत्र चैतू निवासी ग्राम पिपरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, हाल पता ग्राम दुबरहन बुजुर्ग थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण–

→06 अदद चाँदी के कड़े (सफेद धातु)

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 63/2026 धारा 331(3)/305/317(2) बीएनएस, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 अनुराग कुमार, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 अजय कुमार कन्नौजिया, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
4. हे0का0 अजय कुमार त्रिपाठी, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
5. का0 सुरेन्द्र पाल, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

05.थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

हत्या कीघटना कारित करने वालेगैंगेस्टर एक्ट में वांछित01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

→*हत्या प्रकरण में संलिप्त अभियुक्त पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई*

→*मुखबिर की सूचना पर घर से दबोचकर की गई गिरफ्तारी*

→*संगठित अपराध में लिप्त होने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही जारी*

घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण–

अवगत कराना है कि दिनांक 18.02.2025 को वादिनी चाँदनी पाठक पत्नी राजेश चन्द्र पाठक निवासी पठखौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने पति के घर से लापता होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 19.02.2026 को थाना जीयनपुर क्षेत्र में राजेश चन्द्र पाठक का शव बरामद हुआ, जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 091/2025 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।विवेचना के दौरान अभियुक्त हरिकेश चौहान पुत्र सूर्यनाथ चौहान निवासी शेखपुरा अहियाई थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ सहित अन्य के नाम प्रकाश में आए। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। तत्पश्चात संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 129/26 धारा 2ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 23.05.2026 को उ0नि0 सूर्यपाल मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित गैंगेस्टर एक का अभियुक्त हरिकेश चौहान को उसके घर ग्राम शेखपुरा अहियाई से समय करीब 12:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. हरिकेश चौहान पुत्र सूर्यनाथ चौहान निवासी शेखपुरा अहियाई थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 46 वर्ष

पंजीकृत अभियोग–

01.मु0अ0सं0 129/26 धारा 2ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 91/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 129/26 धारा 2ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 सूर्यपाल मय हमराह हे0का0 अजब नारायण सिंह

का0 संदीप यादव

थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

जनपद-मऊ

01.पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 24.03.2026 को थाना कोतवाली नगर एण्टी रोमियो टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील होकर स्कूल / कालेज , मन्दिर ,मस्जिद व चौराहो पर चेकिंग किया गया जिसमें 02 पहिया वाहन पर तेज रफतार ,मनचले लड़के व स्टण्टबाजी करते हुये मोटरसाइकिल सवारों, स्कूल की लड़कियों को परेशान करने वाले तथा विद्यालय के आस-पास स्टंट करने वालो की चेकिंग की गयी। तीन सवारी बैठकर तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वाले तथा स्कूल के आसपास आने जाने वाली लड़कियों को देखकर हरकते करने वालो के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर द्वारा 20 मोटरसाइकिलों के साथ 01 ई-रिक्सा को सीज किया गया तथा 105 वाहनों का चालान किया गया व सार्वजनिक स्थाना पर दारु पी रहे कुल 16 लोगों पर 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी ।

02. यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी धनराशि 19,723/- (उन्नीस हजार सात सौ तेईस) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी धनराशि 19,723/- (उन्नीस हजार

सात सौ तेईस) पीडित मोहित कुमार पुत्र चंद्रजीत निवासी फरीदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की कुल 19,723 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

1. क0आ0 संजय गुप्ता
2. म0आ0 शालिनी मौर्य
3. म0आ0प्रिया सिंह

<u>03.जॉब दिलाने के नाम पर फ्राड की गयी धनराशि 13,000/- (तेरहहजार) रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –</u>

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये जॉब दिलाने के नाम पर फ्राड की गयी धनराशि 13,000/- (तेरह हजार) रुयपये पीडित मोहम्मद शादान पुत्र सेराज अहमद नि0 छीतनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की कुल 13,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

<u>04.अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 27,500/- (सत्ताइस हजार पांच सौ) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –</u>

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये27,500/- (सत्ताइस हजार पांच सौ)रुयपये पीडित साहिल मौर्या पुत्र दिनेश कुमार मौर्या पता खुखुन्दवा थाना कोपागंज जनपद मऊकी कुल 27,500 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामकर्ता-

1. प्राभारी निरीक्षक महोदय श्री रवीन्द्रनाथ राय थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. नोडल अधि0 उ0नि0 उमाशंकर सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. सहायक नोडल अधिकारी उ0नि0 प्रियंका सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. कम्प्यूटर आपरेटर अभिजीत पटेल थाना कोपागंज जनपद मऊ।
5. म0का0 सविता मौर्या थाना कोपागंज जनपद मऊ।
6. म0का0 उर्वशी शुक्ला थाना कोपागंज जनपद मऊ।

<u>05. शादी का झांसा देकर यौन शौषण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में दिनांक 25.03.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर डोमनपुरा से मु0अ0स0 38/26 धारा 69, 352, 351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त बृजमोहन पुत्र स्व0 जयप्रकाश राम निवासी डोमनपुरा चमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण

1. बृजमोहन पुत्र स्व0 जयप्रकाश राम निवासी डोमनपुरा चमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 38/26 धारा 69, 352, 351(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कैलाश जायसवाल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. हे0का0 राजेन्द्र सिंह बादल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. हे0का0 दीपक कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

<u>06. मिशन शक्ति फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत एण्टीरोमियो टीम द्वारा महिलाएं एवं बच्चियों से छींटाकशी व अश्लील गाने का प्रयोग करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.03.2026 को थाना कोतवाली नगर एन्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत एण्टीरोमियो चेकिंग के दौरान महिलाएं एवं बच्चियों से छींटाकशी व अश्लील गाने का प्रयोग करने वाला 01 नफर रिजवान अहमद पुत्र बदरे आलम निवासी बुनकर कालोनी थाना सरायलखन्सी को मील रोड़ परदहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 86/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पत्ता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रिजवान अहमद पुत्र बदरे आलम निवासी बुनकर कालोनी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 86/26 धारा 296 बीएनएस

<u>07. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तो को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व ₹ 16000 के अर्थदंड से हुए दंडित–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 25-03-2026 को मु0अ0सं0 76/2002 धारा 307, 323, 324, 326, 504, 506 भादवी का अभियोग थाना कोपागंज जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. रविंद्र पुत्र बसंत 2. चंद्रदेव पुत्र सुन्नर 3. विजेंद्र पुत्र दशरथ समस्त निवासीगण भदसा मानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं ₹ 16000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री राजेश पाण्डेय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयन्त तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।

<u>जनपद -बलिया</u>

<u>01.थाना सुखपुरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा हत्या करने से संबंधित 02 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार तथा कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 अदद बेल्चा बरामद ।</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व धर पकड़/ गिरफ्तारी, तलाश वांछित अभियुक्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण, श्रीमान् क्षेत्राधिकारी श्री उस्मान सर्किल नगर व थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे के कुशल नेतृत्व में थाना सुखपुरा पुलिस टीम को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि वादी अभिषेक यादव पुत्र श्री विजय कुमार यादव ग्रा0 घोसवटी थाना सुखपुरा जनपद बलिया द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक-24.03.2026 को तहरीर दिया गया कि मेरे पिताजी (विजय कुमार यादव) ट्रक चलाते है दिनांक 24.03.2026 समय लगभग 11.00 बजे दिन में कही से बालू गिराकर सुखपुरा गड़वार मार्ग पर सुखपुरा में कुछ खाने के लिए एक दुकान के सामने गाड़ी खड़ा कर ज्यो ही आगे बढे तभी उसी समय रणबहादुर सिंह पुत्र रामस्नेही सिंह ग्रा0 सुखपुरा , शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र परमात्मा नन्द सिंह ग्रा0 सुखपुरा व दिलीप राजभर S/O श्री विजय शंकर राजभर ग्रा0 भोजपुर (मठिया) व 02 अन्य लोगों द्वारा बेल्चा से मारकर घायल कर दिये जन्हे जिला अस्पताल बलिया के इमरजेन्सी में लाया गया तो डाक्टरो नें ईलाज के कुछ देर बाद मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी।

विवेचना के क्रम में आज दिनांक 25.03.2026 को थाना सुखपुरा पुलिस टीम के थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह के मु0अ0सं0 61/26 धारा 103(1),351(3) बी0एन0एस0 की विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1.)शैलेन्द्र कुमार सिंह S/O परमात्मा नन्द सिंह ग्रा0 सुखपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया ,2.)दिलीप राजभर S/O श्री विजय शंकर

राजभर ग्रा0 भोजपुर (मठिया) थाना सुखपुरा जनपद बलिया जो ग्राम हरिपुर की ओर से रतसर सुखपुरा वाले रोड पर जाकर गाड़ी पकड़ कर कही बाहर भागने की फिराक में है अगर जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है । इस सूचना पर थानाध्यक्ष व हमराही के मुखीबर की सूचना पर पहुँच कर अभियुक्तगण शैलेन्द्र कुमार सिंह S/O परमात्मा नन्द सिंह ग्रा0 सुखपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया ,दिलीप राजभर S/O श्री विजय शंकर राजभर ग्रा0 भोजपुर (मठिया) थाना सुखपुरा जनपद बलिया को समय करीब 13:58 बजे ग्राम हरिपुर की ओर से रतसर सुखपुरा वाले रोड के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त माननीय न्यायालय भेजा गया ।

संबंधित अभियोग-

मु0अ0सं0 61/26 धारा 103(1),351(3) बी0एन0एस0

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

1.शैलेन्द्र कुमार सिंह S/O परमात्मा नन्द सिंह ग्रा0 सुखपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 45 वर्ष ।

2.दिलीप राजभर S/O श्री विजय शंकर राजभर ग्रा0 भोजपुर (मठिया) थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 34 वर्ष ।

बरामदगी-

1. 01 अदद बेल्चा

02.थाना कोतवाली जनपद बलिया पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार तथा कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन बरामद ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री उस्मान के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि वादी हिमांशु सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी रामपुर उदयभान थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 22.03.2026 को समय करीब 7.30 बजे शाम को वादी का भाई प्रियांशु सिंह अपने मित्र विपुल ठाकुर पुत्र पवन कुमार ठाकुर के साथ बाइक से घर आ रहा था कि रास्ते में कालिन्दी पाण्डे की गली में विपक्षीगण प्रिंस यादव पुत्र विक्रमा यादव व अन्य के द्वारा जान से मारने की नियत से एक राय होकर हमला किया गया था जिससे प्रियांशु सिंह व विपुल ठाकुर को गम्भीर चोटे आयी थीं । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। प्रयास के क्रम में आज दि0-25.03.2026 को उ0नि0 गिरिजेश सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र,तलाश वांछित अपराधी व मु0अ0सं0 112/26 मे मामूर थे कि सूचना प्राप्त हुआ कि मुकदमे से सम्बंधित (प्रकाश मे आया हुआ) अभियुक्त टाउन पालीटेक्निक कालेज के पास खड़ा है, कही जाने की फिराक में है। इस सूचना के क्रम में अभियुक्त अर्जुन साहनी उर्फ बिट्टू पुत्र स्व0 परमात्मा साहनी निवासी ग्राम सरया थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष को टाउन पालीटेक्निक कालेज के पास से कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 13.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाइल iphoneबरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 112/26 धारा 191(2),191(3),190,109(1),115(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बलिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अर्जुन साहनी उर्फ बिट्टू पुत्र स्व0 परमात्मा साहनी निवासी ग्राम सरया थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी-

1. एक अदद मोबाइल iphone कम्पनी

03. थाना फेफना जनपद बलिया पुलिस द्वारा 01 अदद गुम हुए मोबाइल फोन को किया बरामद ।
बरामद मोबाइल फोन को सम्बन्धित मोबाइल स्वामी को किया गया सुपुर्द ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर CEIR पोर्टल के माध्यम से दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दक्षिणी महोदय श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर श्री राकेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना फेफना पुलिस टीम को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि खोये/गुमशुदा हुए मोबाइल जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपने मोबाइल की गुमशुदगी CEIR पोर्टल पर दर्ज कराया गया था । जिसके उपरान्त थाना फेफना पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल पर रजिस्टर एवं सर्विलांस सेल बलिया व थाना साइबर हेल्प डेस्क की सहायता से खोज किया जा रहा था । जिसके क्रम में आज दिनांक 25.03.2026 को थाना फेफना पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर रन कराये गये गुमशुदा मोबाइल को थाना क्षेत्र से 01 अदद मोबाइल (कीमत कुल 15000/-) बरामद कर मोबाइल स्वामी को नियमानुसार सुपुर्द किया गया ।

मोबाइल स्वामी ने फेफना पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए दिये धन्यवाद ।